झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3172 वर्ष 2020

मो0 इकबाल अंसारी, उम्र लगभग 62 वर्ष, पे0–स्वर्गीय अजीज हसन अंसारी, निवासी–जंगलपुर, डाकघर–जंगलपुर, थाना–गोविंदपुर, जिला–धनबाद

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, द्वारा प्रबंध निदेशक, धनबाद, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–धनबाद
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–धनबाद
3. सचिव, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद, कार्यालय–डाकघर, थाना और जिला–धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री संतोष कु0 झा, श्री एम0पी0 सिन्हा, अधिवक्ता के ए0सी0

03 / 27.01.2021 श्री सोमेश्वर रॉय, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री संतोष कुमार झा, प्रतिवादी–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3. याचकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य बकाया जैसे कि अंशदायी लाभ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, महंगाई भत्ते का अंतर, ए0सी0पी0 का लाभ, 6ठे वेतन संशोधन के लाभ दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से और अन्य वैध बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश के लिए इस रिट याचिका को दायर की है।

4. श्री रॉय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ता को झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, निरसा सर्कल के पद पर दिनांक 26.08.1983 को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत हो गया था। वह आगे कहते हैं कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के अनुबंध–2 और 3 में निहित कई अभ्यावेदन को दायर किया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5. श्री संतोष कुमार झा, प्रतिवादी–जे0एम0ए0डी0ए0 के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिवादी नंबर 2 से सपहले नए ासिरे से अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जो याचिकाकर्ता के मामले

को नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसार और जे0एम0ए0डी0ए0 द्वारा इस संबंध में योजना के अनुसार विचार करेगा।

6. तदनुसार, याचिकाकर्ता को सभी साख जिस पर वह इस प्रकार के राहत के लिये भरोसा कर रहा है, के साथ उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन तीन सप्ताह के भीतर दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है, यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उत्तरदाता संख्या 2 नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और इस संबंध में उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार निर्णय लेगा और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

7. यह कहना नहीं होगा कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसी का लाभ याचिकाकर्ता को उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)